

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक :- 02.08.10

विभागीय अधिसूचना सं0-447 दिनांक 19.01.10 द्वारा बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के गठन के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0-460 दिनांक 19.01.10 सहपठित शुद्धि पत्र सं0-592 दिनांक 25.01.2010 तथा संकल्प सं0-2907 दिनांक 26.03.10 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में चिह्नित विभागों के चिह्नित पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त करते हुए कार्यपालक दंडाधिकारी के पदों पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक अंतरिम/कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्थानापन्न प्रभार देते हुये पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों को स्तंभ-7 से स्थानांतरित करते हुये स्तंभ-8 में अंकित अनुमंडल में कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	RDD-ID NO.	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	विभाग का नाम	पूर्वधारित पद/ जिला का नाम	नवपदस्थापित अनुमंडल का नाम	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8595	RDD/001036	श्रीमती किरण कुमारी	अरवल	ग्रामीण विकास विभाग	महिला प्रसार पदाधिकारी, अरवल	पटना सदर	पटना
2	8596	RDD/001652	श्री किशुन महतो	समस्तीपुर	श्रम विभाग	श्रम निरीक्षक, भोजपुर	पटना सदर	पटना

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

2. कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति अलग से प्रदत्त की जायेगी ।

3. उक्त पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक अथवा अधिकतम 3 वर्षों, दोनों में से जो पहले हो, के लिए होगा ।

4. कार्यावधि की समाप्ति के उपरांत उपरोक्त तालिका में प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेगे ।

5. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने वेतनमान में ही कार्य करेगे तथा उन्हें बिहार सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा ।

के  
2/8

6. सेवा असंतोषप्रद पाये जाने पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किसी भी समय पदाधिकारी की सेवाएँ उनके पैतृक विभाग को वापस कर दिया जाएगा ।

7. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर अपने-अपने नवपदस्थापन स्थान पर योगदान देंगे। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी जुलाई, 2010 का वेतन आदि नवप्रतिनियुक्त स्थान से ही प्राप्त करेंगे ।

8. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की सेवापुस्त उनके पूर्व पदस्थापन के नियंत्री पदाधिकारी नवपदस्थापित स्थान के संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा नवपदस्थापित स्थान के संबंधित जिला पदाधिकारी सेवापुस्त प्राप्त होने पर अपने अधीनस्थ कार्यालय में संधारित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 8596

दिनांक:- 02.08.10

ग्रा0वि0 - 2/स्था0-1-04/10

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 के साथ (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 8596

दिनांक:- 02.08.10

प्रतिलिपि- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, बिहार, 7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड) पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 8596

दिनांक:- 02.08.10

प्रतिलिपि- माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, श्रम विभाग/सामान्य एवं प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/ महालेखाकार, बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा, निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/मगध / जिला पदाधिकारी, अरवल/भोजपुर/पटना / उप विकास आयुक्त, अरवल/भोजपुर/पटना / कोषागार पदाधिकारी, पटना / ग्रामीण विकास विभाग के संबंधित सभी पदाधिकारी / ग्रामीण विकास विभाग के प्रशाखा- 2 एवं 3 / श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., सूचना भवन, पटना एवं कम्प्यूटर कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित विभाग/ जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने नियंत्री पदाधिकारियों के पदस्थापन की सूचना आज ही अपने स्तर से उपलब्ध कराना एवं अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

3. सभी संबंधित विभाग/ नियंत्री पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों को अधिसूचित कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर प्रभार ग्रहण करने हेतु विरमित कर दिया जाय।

4. सभी विभाग/ जिला पदाधिकारी स्थानांतरण से संबंधित विभागीय अधिसूचना वेबसाईट- [www.rdd.bih.nic.in](http://www.rdd.bih.nic.in) /सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है इसे आज ही डाउनलोड कर अद्येतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

5. संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि आदेश का तत्क्षण अनुपालन कराकर दिनांक तक विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	सूचना संख्या	पदाधिकारी का नाम	जु. जिला	विभाग का नाम	पदाधिकारी का पद	उपलब्धता का प्रकार	दिनांक
1	2585	19.01.10	श्रीमती विद्या कुमारी	जयपुर	नियंत्री विभाग	पर्यवेक्षीय पदाधिकारी	पद पर	25.01.2010
2	2586	19.01.10	श्री विष्णु शर्मा	जयपुर	नियंत्री विभाग	पर्यवेक्षीय पदाधिकारी	पद पर	25.01.2010

यस आदेश तत्कालीन प्रभाव से लागू होगा।

2. कार्यपालक पदाधिकारी की शक्ति अंतर में प्रदत्त की जायेगी।

3. उक्त पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक अथवा अधिकतम 3 वर्षों, दोनों में से जो पहले हो, के लिए होगा।

4. कार्यपालक की संभाल के उपरान्त उपरोक्त जिले में प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी नियमित नियुक्ति का प्रश्न नहीं करेंगे।

5. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने वेतनमान से ही कार्य करेंगे तथा उन्हें बिहार सेवा गति में के सुसंगत नियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा।